

द्व. स्व. रूप
Dr. Dev Swarup

संयुक्त सचिव
Joint Secretary



दूरभाष PHONE कार्यालय OFF : 011-23231273

फैक्स FAX : 011-23231291

E-mail : dev@ugc.ac.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फर मार्ग,

नई दिल्ली-110 002 (भारत)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BAHADUR SHAH ZAFAR MARG

NEW DELHI-110 002 (INDIA)

No.F.1-16/ 2009(CPP-II)

September, 2009

Register

All Universities

12 OCT 2009

Subject: UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009.

Sir,

In continuation to this office letter of even no. dated 7th July, 2009 on the above subject, I am enclosing a copy of the UGC Regulations on curbing the menace of ragging in educational institutions, 2009 published in the Gazette of India dt. 4th July, 2009 in (i) English and (ii) Hindi विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रेगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009 for your information and necessary action.

The above regulations are mandatory and shall apply to all Universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State/Union Territory Act and all Institutions recognised by or affiliated to such Universities and all Institutions deemed to be Universities under Section (3) of the UGC Act, 1956 with effect from 4th July, 2009 i.e. the date of its Publication in the official Gazette.

It is requested that these regulations may please be brought to the notice of the Colleges affiliated to your Universities/Institution.

Yours faithfully,

Dev Swarup

(Dev Swarup)
Joint Secretary

o/c

Encl: As above



Copy to:-

1. All States/ U.Ts Higher. Education Secretaries (List attached).
2. The Secretary, Govt. of India Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
3. Shri V. Umashankar, Director, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
4. The Secretary, Association of Indian Universities (AIU), 16, Comrade Inderjit Gupta Marg (Kotla), New Delhi-110002
5. All Professional Councils.
6. Ps to Chairman/Ps to Vcm/Ps to Secretary, UGC, New Delhi
7. JS (Web site) UGC for posting on UGC website.
8. All Regional Offices, UGC.
9. Guard file

[Signature]
(V.K. Jaiswal)
Deputy Secretary
20.10.200
O/c



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4—जुलाई 10, 2009 (आषाढ़ 13, 1931)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4—JULY 10, 2009 (ASADHA 13, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2009

सं. एन-15/13/14/8/2008-यो. व. वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे अर्थात्

केन्द्र

बढ़ते हुए निम्नलिखित क्षेत्र

उत्तमपालयम

जिला तेनी तालुक उत्तमपालयम के राजस्व गाँव

उत्तमपालयम तालुक जिला तेनी

उत्तमपालयम (दक्षिण), उत्तमपालयम (उत्तर), रायप्पनपट्टी, मल्लिंगपुरम्, कोहिलापुरम्, कोम्बै (पूर्व), कोम्बै (पश्चिम) तथा हनुमंथन पट्टी।

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

दिनांक 10 जून 2009

सं. एन-15/13/14/6/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

कंबम उत्तमपालयम जिला तेनी

बढ़ते हुए निम्नलिखित क्षेत्र/तेनी जिले के राजस्व गाँव

1. उत्तमपालयम तालुक के कंबम नगरपालिका क्षेत्र

2. उत्तमपालयम तालुक जिला तेनी के राजस्व गाँव

कामयकउण्डनपट्टी, नारायनतेवनपट्टी (दक्षिण), नारायनतेवनपट्टी (उत्तर)

उत्तमपुरम और सी. पुदुपट्टी

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

सं. एन-15/13/14/2/2009-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

शिवगगै जिला में

देवकोट्टी तालुक के कारैकुडी उपनगरें

पेरुट्टकोट्टै

आदि के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गाँव

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

सं. एन-15/13/10/2/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा उड़ीसा कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

“ढेंकानाल जिला के ढेंकानाल तहसील में नरेन्द्रपुर शिबपुर, कुरुंटी, खडग प्रसाद, तूलसीदिह एवं निमिधा के राजस्व गाँव।”

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

सं. एन-15/13/14/10/2009-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में

महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

तुतुकोरिन जिला के पुदुक्कोट्टै क्षेत्र

1. मरवनमडम
2. कूसाडुंगाडु
3. अल्लिकुलम
4. कुमरगिरी
5. साउत सिलुक्कानपट्टी
6. सेवैक्कडमडम
7. पेरुरणी
8. सेन्तिलम्पणै आदि के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गाँव

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

दिनांक 12 जून 2009

सं. एन-15/13/1/10/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

'आन्ध्र प्रदेश राज्य के महबूबनगर जिले के फारुखनगर मण्डल में स्थित वेलजर्ला-1, 2, 3, और 'केशमपेट' मण्डल में स्थित 'पापीरेड्डीगुडा' के राजस्व ग्रामों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र।'

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/14/7/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

चिन्नमनूर

निम्नलिखित बढ़ते हुए क्षेत्र तेनी जिले के राजस्व गाँव

1. उत्तमपालयम तालुक का चिन्नमनूर नगरपालिका क्षेत्र
2. उत्तमपालयम तालुक जिला तेनी के राजस्व गाँव, पूलानन्तापुरम, करूंकटानकुलम चिन्नावेलापुरम मुत्तलापुरम, मरकायनकोट्टै, पुलिकुत्ति, कुच्चानुर, ओडैपट्टी।

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26 (1) (जी) के अन्तर्गत)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 जून 2009

मि० सं० 1-16/2007(सी.पी.पी.-II)

उद्देशिका

माननीय उच्चतम न्यायालय के केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल प्रिंसिपल कॉलेज तथा अन्य, एस०एल.पी० सं० 24295, 2006 के 16-5-2007 तथा दिनांक 08-5-2009, सिविल अपील नं. 887 से प्राप्त निर्देशों तथा केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग निषेध तथा रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए। छात्र अथवा छात्रों द्वारा मौखिक शब्दों अथवा लिखित कार्य द्वारा नए अथवा अन्य छात्र को उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, छात्र को उत्पात अथवा अनुशासनहीनता की गतिविधियों में संलिप्त करना जिससे नए अथवा किसी अन्य छात्र को कष्ट, परेशानी, कठिनाई अथवा मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा उसमें भय की भावना उत्पन्न हो अथवा नए या अन्य किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में करे तथा जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो अथवा घबराहट हो जिससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी छात्र पर दुष्प्रभाव पड़े अथवा कोई छात्र नए अथवा अन्य छात्र पर शक्ति प्रदर्शन करें। देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समुचित विकास हेतु शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य समितियों से विचार विमर्श के पश्चात् ये अधिनियम बनाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 26 उप खण्ड (जी) उपखण्ड (1) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, जिसका नाम है—

1. शीर्षक, प्रारम्भ और प्रयोज्यता

- 1.1 ये अधिनियम "विश्वविद्यालय अनुदान के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के अधिनियम, 2009" कहे जाएँगे।
- 1.2 ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा (2) उपखंड (एफ) के अनुसार / विश्वविद्यालय की परिभाषा के अन्तर्गत आनेवाली सभी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 3 के अनुसार सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा अन्य सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं तथा इस प्रकार के विश्वविद्यालय के सम्बन्धित तत्वों से युक्त संस्थाओं, विभागों, इकाइयों तथा अन्य सभी शैक्षिक, आवासीय, खेल के मैदान, जलपान गृह तथा विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं चाहे वे परिसर के भीतर हों अथवा बहार तथा छात्रों के सभी प्रकार के परिवहन चाहे वे सरकारी हों अथवा निजी छात्रों द्वारा इस प्रकार के विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।

2. उद्देश्य

किसी छात्र अथवा छात्रों के द्वारा दूसरों को मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा प्रताड़ित करना, उसे छेड़ना किसी नए छात्र के साथ दुर्व्यवहार करना अथवा उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना जिससे आक्रोश, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा किसी नए अथवा अन्य किसी छात्र में भय की भावना उत्पन्न हो अथवा किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे अथवा ऐसा कार्य कराना जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो, पीड़ा हो घबराहट हो अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुष्प्रभाव पड़े अथवा शक्ति प्रदर्शन करना अथवा किसी छात्र का वरिष्ठ होने के कारण शोषण करना। अतः सभी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में इन अधिनियम के अन्तर्गत रैगिंग रोकना। इस तरह की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों को इन अधिनियम तथा विधि के अनुसार दण्डित करना।

3. रैगिंग कैसे होती है—

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे—

- क किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्य्यवहार करना।
- ख छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
- ग किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा, अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
- घ परिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाएँ।
- ङ नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।
- च नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
- छ शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।
- ज मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई—मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग मार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।
- झ कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले लाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

4. परिभाषाएँ

- 1 इन अधिनियमों में जब तक कि कोई अन्य संदर्भ न हो।
- क अधिनियम का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956/3) है।
- ख शैक्षिक वर्ष का तात्पर्य किसी संस्था में किसी छात्र का किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा उस वर्ष की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति है।
- ग रैगिंग विरोधी हैल्पलाईन का तात्पर्य इन अधिनियमों के अधिनियम 8.1 की धारा (ए) है।
- घ आयोग का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है।
- ङ समिति (कौंसिल) का तात्पर्य संसद अथवा राज्य के विधानमंडल द्वारा नियमित उच्चतर शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग तथा स्तर बनाए रखने हेतु गठित समिति है। यथा आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन (ए.आई.सी.टी.ई.) बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डी.सी.आई.) डेन्टिस एजुकेशन काउंसिल (डी.ई.सी.) दी इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आइ.सी.ए.आर.) इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आई.एन.सी.) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई.) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) प्राइमरी काउंसिल ऑफ इंडिया (पी.सी. आई.) इत्यादि तथा राज्यों के उच्चतर शिक्षा काउंसिल इत्यादि ।
- च जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति का तात्पर्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा रैगिंग रोकने के लिए जिले की परिसीमा में गठित समिति है।
- छ संस्थाध्यक्ष का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड विश्वविद्यालयों हेतु कुलपति अथवा किसी संस्था का निदेशक, कॉलेज का प्राचार्य सम्बन्धित का कार्यकारी अध्यक्ष है।
- ज "फ़ेशर" से तात्पर्य वह छात्र है जिसका प्रवेश किसी संस्था में हो गया है तथा उस संस्था में उसकी पढ़ाई का प्रथम वर्ष चल रहा है।

- झ संस्था का तात्पर्य वह उच्चतर शिक्षण संस्था है जो चाहे विश्वविद्यालय हो डीम्ड विश्वविद्यालय हो, कॉलेज अथवा राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्थान हो जिसकी रचना संसद के अधिनियम के अनुसार की गई हो। इसमें 12 वर्ष स्कूल की शिक्षा के बाद की शिक्षा दी जाती हो कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें चरम सीमा तक उपाधि दी जाती हो। स्नातक/स्नातकोत्तर तथा उच्चतर स्तर अथवा विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की।
- ज एन.ए.ए.सी. का तात्पर्य आयोग द्वारा अधिनियम की 12(सी.सी.सी.) के अनुसार स्थापित नेशनल एकेडमिक एंड ऐफिडिटेशन काउंसिल है।
- ट राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सेल का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसार अथवा केन्द्र सरकार की सलाह पर रैंगिंग रोकने के लिए बनाया गया निकाय है। जिसका कार्यक्षेत्र राज्य तक होगा।
- 2 शब्द तथा अभिव्यक्ति को यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम अथवा अधिनियम के सामान्य खण्ड 1887 वही अर्थ होगा जो उसमें दिया गया है।

5. संस्था स्तर पर रैंगिंग निषेध के उपाय—

- क कोई भी संस्था अथवा उसका कोई भाग, उसके तत्वों सहित केवल विभागों तक नहीं उसकी संघ तक ईकाई, कॉलेज, शिक्षण केन्द्र, उसके भू-गृह चाहे वे शैक्षिक, आवासीय खेल के मैदान अथवा जलपान गृह आदि चाहे वे विश्वविद्यालय परिसर में हो अथवा बाहर, सभी प्रकार के परिवहन, या निजी सभी में रैंगिंग रोकने हेतु इन विनियमों के अनुसार तथा अन्य सभी आवश्यक उपाय करेंगे। रिपोर्ट होने पर रैंगिंग की किसी भी घटना को दबाया नहीं जाएगा।

- ख सभी संस्थाएं रैंगिंग के प्रचार, रैंगिंग में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इन विनियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

6. संस्था स्तर पर रैंगिंग रोकने के उपाय

- 6.1 छात्रों के प्रवेश अथवा पंजीकरण के संदर्भ में संस्था निम्नलिखित कदम उठाए।
- क संस्था द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक दृश्य, श्रव्य अथवा प्रिन्ट मीडिया के छात्र को

प्रवेश संबंधी घोषणा में यही बताया जाए कि संस्था में रैगिंग पूर्णतः निषेध है। यदि कोई रैगिंग करने अथवा उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया अथवा रैगिंग प्रचार के षड्यंत्र में दोषी पाया गया तो उसे इन विनियम तथा देश के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

ख प्रवेश की पुस्तिका के निर्देश पुस्तक तथा विवरण पत्रिका चाहे वे इलेक्ट्रानिक हो अथवा मुद्रित उनमें ये विनियम विस्तार से छापे जाएँ। प्रवेश पुस्तिका का निर्देश पुस्तिका विवरण पत्रिका में यह भी मुद्रित किया जाए कि रैगिंग होने या संस्था के अध्यक्ष इसके साथ संस्थाध्यक्ष, संकाय सदस्य रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों, रैगिंग विरोधी दस्तों के सदस्यों अथवा जिले के अधिकारियों, वार्डनों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका अथवा विवरण पत्रिका में विस्तार से छापे जाएँ।

ग जहाँ कोई संस्था किसी विश्वविद्यालय से संबंध है वहाँ विश्वविद्यालय यह निश्चित कर ले कि प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका यह विवरण पत्रिका प्रकाशित करें तो यह विनियम के विनियम 6.1 के खण्ड (ए) और खण्ड (बी) का अनुपालन करें।

घ प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र आवश्यक रूप से अंग्रेजी और हिन्दी/अभ्यर्थी की ज्ञात किसी एक प्रादेशिक भाषा में इन विनियम के संलग्नक 1 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए तथा हस्ताक्षर किया जाए कि उसने किसी अधिनियम के नियमों के पढ़ लिया है तथा इन विनियम के नियमों तथा विनियम के नियमों तथा विधि को समझ लिया है तथा वह रैगिंग निषेध तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानता/जानती है। वह यह घोषण करता/करती है कि उसे किसी संस्था द्वारा निष्कासित/निकाला नहीं गया है। साथ ही वह रैगिंग संबंधी किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा/होगी और यदि वह रैगिंग करने अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण का दोषी पाया/पायी गई तो उसे इन विनियम तथा विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है और वह दंड केवल निष्कासन तक सीमिति नहीं होगा।

ङ प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र अंग्रेजी

और हिन्दी तथा किसी एक प्रादेशिक भाषा या हिन्दी भाषा में इन विनियमों के साथ संलग्नक हैं। अभ्यर्थी के माता-पिता अभिभावक की ओर से दिया जाए कि उन्होंने रैगिंग के अधिनियम को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है तथा रैगिंग रोकने संबंधित अन्य कानून को वो जानते हैं तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानते हैं। वे घोषणा करते हैं कि उनका वार्ड किसी संस्था द्वारा निष्कासित नहीं किया गया है और न ही निकाला गया है तथा उनका वार्ड रैगिंग से सम्बन्धित किसी कार्य में प्रत्यक्ष/परोक्ष अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण में भाग नहीं लेगा और यदि वह इसका दोषी पाया गया तो उनको इन विनियम तथा कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। यह दंड केवल निष्कासन तक सीमित नहीं होगा।

- च प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र के साथ स्कूल लीविंग/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/प्रवास प्रमाण-पत्र/वरिष्ठ प्रमाण पत्र हो जिसमें छात्र के व्यक्तिगत तथा समाजिक व्यवहार की जानकारी दी गई हो ताकि संस्था इसके बाद उस पर नज़र रख सके।
- छ संस्था के/संस्था द्वारा व्यवस्थित व्यवस्था किए गए छात्रावास की प्रार्थना करने वाले छात्र को प्रार्थना पत्र के साथ एक अतिरिक्त शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र पर उसके माता/पिता/अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।
- ज किसी भी संस्था में शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्था अध्यक्ष विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों जैसे छात्रपाल (वार्डेन) छात्र प्रतिनिधि, छात्रों के माता-पिता अभिभावक, जिला प्रशासन पुलिस आदि की मीटिंग आयोजित करे तथा रैगिंग रोकने के उपयों और उसमें संलिप्त अथवा उसका दुष्परिणाम करने वालों को विन्हित कर दण्डित करने पर विचार-विमर्श हेतु उसे सम्बोधित करें।
- झ समुदाय विशेष रूप से छात्रों को रैगिंग के अमानवीय प्रभाव के संदर्भ में जागृत करने हेतु तथा संस्था उसके प्रति रवैये से अवगत कराने हेतु बड़े पोस्टर (वरीयता से बहुरंगी) नियम विधि तथा दंड हेतु छात्रावास, विभागों तथा अन्य भवनों के सूचना पट्ट पर लगाया जाए। उनमें से कुछ पोस्टर स्थायी रूप के हों जिन स्थानों पर छात्र एकत्र होते हैं वहां रैगिंग का आघात किए

जाने योग्य स्थानों पर विशेष रूप से ऐसे पोस्टर लगाए जाएँ।

- अ संस्था मीडिया से यह अनुरोध करे कि वह रैगिंग रोकने के नियमों का प्रचार-प्रसार करे। संस्था के रोकने और उसमें लिप्त पाए जाने पर बिना भेद-भाव एवं शय के दण्डित करने के नियम प्रचार करें।
 - ट संस्था द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को समझाया जाए तथा असुरक्षित स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। संस्था द्वारा परिसर में विषम समय तथा शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए तथा रैगिंग किए जाने योग्य स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। पुलिस, रैगिंग विरोधी सचल दल तथा स्वयं सेवी (यदि कोई हो) व्यक्तियों से इसमें सहायता ली जाए।
 - ठ संस्था अवकाश के समय को नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ से पूर्व रैगिंग के विरुद्ध संगोष्ठी, पोस्टर, पत्रिका, नुक्कड़ नाटक आदि के द्वारा प्रचार करें।
 - ड संस्था के विभिन्न तंत्र संकाय/विभाग/इकाई आदि।
 - ढ संस्था के संकाय/विभाग/इकाई आदि छात्रों की विशेष आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर निवारण करें तथा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व रैगिंग निषेध संबंधी अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विधिवत् प्रबन्ध करें।
 - ण प्रत्येक संस्था अकादमिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले पेशेवर काउंसिलरों की सेवा अथवा सहायता ले और वे शैक्षिक वर्ष प्रारम्भ होने के बाद भी नए तथा अन्य छात्रों की काउंसिलिंग के लिए उपलब्ध हों।
 - त संस्थाध्यक्ष स्थानीय पुलिस तथा अधिकारियों को वित्तीय आधार पर प्रबन्ध किए गए छात्रावास तथा निवास हेतु प्रयोग किये जा रहे भवन के संबन्ध में विस्तृत जानकारी दें। संस्थाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि रैगिंग विरोधी दल ऐसे स्थानों पर रैगिंग रोकने हेतु चौकसी रखें।
- 6.2 छात्रों का प्रवेश, नामांकन अथवा पंजीकरण होने पर निम्नलिखित कदम उठाए, जिसका नाम इस प्रकार है—
- क संस्था में प्रवेश दिए गए प्रत्येक छात्र को एक मुद्रित पर्णिका दी जाए जिसमें यह बताया गया हो कि उसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु किससे निर्देशन प्राप्त करना

है। इसमें विभिन्न अधिकारियों के दूरभाष नं० तथा पते भी दिए जाएँ ताकि आवश्यकता पड़ने पर छात्र किसी भी संबंधित व्यक्ति से तुरन्त संपर्क करें। इन विनियम में संदर्भित रैगिंग विरोधी हैल्पलाईन, वार्डन, संस्थाध्यक्ष तथा रैगिंग विरोधी समिति तथा दल के सदस्यों तथा संबंधित जिले तथा पुलिस के अधिकारियों के पते और दूरभाष नं० विशेष रूप से समाहित किए जाएँ।

- ख संस्था इन विनियम के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देश दिए गये हैं। प्रबंधक को नए छात्रों को दी जानेवाली पर्णिका द्वारा स्पष्ट करें तथा उन्हें अन्य छात्रों से भलीभाँति परिचित कराने हेतु कार्य करें।
- ग इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देशित पर्णिका द्वारा नए छात्रों को संस्था के बोनाफाइड स्टूडेंट के रूप में उनके अधिकार भी बताए जाएँ। उन्हें यह भी बताया जाए कि वे अपनी इच्छा के बिना किसी का कोई कार्य न करें चाहे उनके लिए उनके वरिष्ठ छात्रों ने कहा हो तथा रैगिंग के प्रयास के सूचना तुरन्त रैगिंग विरोधी दल, वार्डन अथवा संस्थाध्यक्ष को दे दें।
- घ इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देशित पर्णिका में संस्था में मनाए जानेवाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की तिथि दी हो ताकि नए छात्र संस्था के शैक्षिक परिवेश एवं वातावरण से परिचित हो सकें।
- ङ वरिष्ठ छात्रों के आने पर संस्थान प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह के बाद जैसा भी हो अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करें जिनका नाम — (i) संयुक्त सैंसेटाइजेशन प्रोग्राम और वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों की काउंसिलिंग व्यावसायिक वगउन्सर के साथ खण्ड — 6.1 नियम के विनियम के अनुसार करे (ii) नये और पुराने छात्रों को संयुक्त अभिविन्यास कार्यक्रम को संस्था तथा रैगिंग विरोधी समिति सम्बोधित करे (iii) संकाय सदस्यों की उपस्थिति में नये और पुराने छात्रों के परिचय हेतु अधिकाधिक, सांस्कृतिक खेल तथा अन्य प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जाये (iv) छात्रावास में वार्डन सभी छात्रों को सम्बोधित करे तथा अपने दो (2) कनिष्ठ सहयोगियों से कुछ समय तक सहयोग देने हेतु निवेदन करे (v) जहाँ तक संभव हो संकाय-सदस्य हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के साथ भोजन भी करे ताकि नये छात्रों में आत्मविश्वास

का भाव उत्पन्न हो।

- च संस्था समुचित समितियों का गठन करे। कोर्स इंचार्ज, वार्डन तथा कुछ वरिष्ठ छात्र इन समितियों के सदस्य हों। यह समिति नये और पुराने छात्रों के बीच सम्बंध सुदृढ़ बनाने में सहयोग दे।
- छ नये अथवा अन्य छात्र चाहे वे रैगिंग के भोगी हों अथवा रैगिंग होते हुए उन्होंने दोषी बने देखा हो उन्हें ऐसी घटनाओं की सूचना देने हेतु उत्साहित किया जाए ताकि उनकी पहचान सुरक्षित रखी जाए और ऐसी घटनाओं की सूचना देने वालों को किसी दुष्परिणाम से बचाया जाए।
- ज संस्था में आने पर नये छात्रों के प्रत्येक बैच को छोटे-छोटे वर्गों में बांट दिया जाए और ऐसा प्रत्येक वर्ग किसी एक संकाय सदस्य को दे दिया जाए जो स्वयं वर्ग ग्रुप के सभी सदस्यों से परिचित हो और यह देखे कि नये छात्रों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो यदि हो तो उसका समाधान करने में उचित सहायता करे।
- झ इस प्रकार की समिति के संकाय सदस्य का यह दायित्व होगा कि वार्डनों को सहयोग दे तथा छात्रावास में औचक निरीक्षण करते रहें। जहाँ संकाय सदस्य की अपने अधीन छात्रों की डायरी मन्टेन करें।
- ञ नये छात्रों को अलग छात्रावास में रखा जाये और जहाँ इस प्रकार की सुविधायें न हों वहाँ संस्था यह सुनिश्चित करे कि नये छात्रों को दिये गये निवास स्थानों पर वार्डन तथा सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी कड़ी निगरानी रखें।
- ट संस्था 24 घंटे छात्रावास परिसर में रैगिंग रोकने के लिए कड़ी नजर रखने का प्रबन्ध करे।
- ठ नये छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों का यह दायित्व होगा कि रैगिंग से सम्बन्धित सूचना संस्था-अध्यक्ष को प्रदान करें।
- ड प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र जो संस्था में पढ़ रहा हो। वह और उसके माता-पिता/अभिभावक प्रवेश के समय निर्देशित शपथ पत्र दे जैसा कि विनियम के विनियम 6.1 खण्ड (डी) (ई) और (जी) के अनुसार दिया जाना। प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में चाहिए।

- द प्रत्येक संस्था विनियम (6.2) खण्ड -- एल के सन्दर्भ अनुसार प्रत्येक छात्र से शपथ पत्र ले और उनका उचित रिकार्ड रखे। प्रतिलिपियों को इलेक्ट्रानिक रूप में सुरक्षित रखे ताकि जब आवश्यकता हो कमीशन अथवा कोई संकलित अथवा संस्था अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा/संघटन द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सके।
- ण प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने पंजीकरण के समय संस्था को अपनी पढ़ाई करते समय निवास स्थान की सूचना दे यदि उसका निवास स्थान तय नहीं किया है या वह अपने निवास बदलना चाहता/चाहती है तो उसका निश्चय होती ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाए और विशेष रूप से निजी खर्च पर व्यक्ति किये गये भवनों अथवा छात्रावासों की जहां वह रह रहा है/रही है।
- ण आयोग शपथ पत्रों के आधार पर एक उचित आंकड़ा बनाये रखे जो प्रत्येक छात्र और उसके माता/पिता/अभिभावक द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया गया हो। इस प्रकार का आंकड़ा रैगिंग की शिकायतों तथा उसके बाद की गयी कार्यवाही का रिकार्ड भी रखे।
- त आयोग द्वारा आंकड़ा गैर सरकारी निकाय जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो को उपलब्ध कराया जाये इससे आम जनता में विश्वास तथा समिति के आदेश का अनुपालन न करने की सूचना दी जा सके।
- थ प्रत्येक शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर संस्थाध्यक्ष प्रथम वर्ष पूर्ण करनेवाले छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों को रैगिंग से सम्बन्धित विधि और जानकारी से सम्बन्धित पत्र भेजें तथा उनसे अनुरोध करें कि नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में वापस आने पर उनके स्वयं बालक रैगिंग से सम्बन्धित किसी गतिविधि में भाग न लें।

6.3 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित नामों से समितियाँ गठित करें।

- क प्रत्येक संस्था एक समिति बनाए जिसे रैगिंग विरोधी समिति (एंटी रैगिंग कमेटी) कहा जाए। समिति की अध्यक्षता संस्थाध्यक्ष करें तथा समिति के सदस्यों को वे ही नामांकित करें। इसमें पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि भी हो। स्थानीय मीडिया युवा गतिविधियों से जुड़े गैर सरकारी संघटक संकाय सदस्यों के प्रतिनिधि, माता-पिता में से प्रतिनिधि, नए तथा पुराने छात्रों के प्रतिनिधि, शिक्षणोत्तर कर्मचारी तथा विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधि समिति में से लिंग के आधार पर इस समिति में स्त्री पुरुष दोनों हों।
- ख रैगिंग विरोधी समिति का कर्तव्य होगा कि वह इन विनियम प्रावधान तथा रैगिंग से सम्बन्धित कानून का अनुपालन कराए तथा रैगिंग विरोधी दल के रैगिंग रोकने सम्बन्धी कार्यों को भी देखे।
- ग प्रत्येक संस्था एक छोटी समिति का भी गठन करे जिसे रैगिंग विरोधी (एंटी रैगिंग स्क्वैड) नाम से जाना जाए। इसे भी संस्थाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए। यह समिति नजर रखे तथा हर समय पैटरॉलिंग और गतिशील बनी रहने हेतु तत्पर रहे।
- रैगिंग विरोधी दल/स्क्वैड में कैम्पस के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इसमें परिसर से बाहर के व्यक्ति नहीं होंगे।
- घ रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह छात्रावास तथा रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील अन्य स्थानों का घटना की औचक निरीक्षण करें।
- ङ रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य किसी संकाय सदस्य अथवा किसी कर्मचारी अथवा किसी छात्र अथवा किसी माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा सूचित की गई रैगिंग की घटना की जाँच घटना स्थल पर जाकर करे तथा जाँच की रिपोर्ट संस्तुति सहित रैगिंग विरोधी समिति को विनियम 9.1 उपखण्ड (ए) के अनुसार कार्रवाई हेतु सौंपे।

रैगिंग विरोधी दल इस प्रकार की जाँच निष्पक्ष एवं पारदर्शी विधि से करे तथा सामान्य न्याय का पालन किया जाए। रैगिंग के दोषी पाए जानेवाले

छात्र/छात्रों तथा गवाहों को पूरा अवसर देने तथा तथ्य एवं प्रमाण आदि देखने के बाद इसकी सूचना प्रेषित की जाए।

6.3 प्रत्येक संस्था शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु एक मॉनिटरिंग सेल बनाए जिसमें नए छात्रों को मॉनेटर करनेवाले स्वयंसेवी छात्र हों। नए छात्रों पर एक मॉनेटर होना चाहिए।

छ प्रत्येक विश्वविद्यालय, एक समिति का गठन करे जिसे रैगिंग के मॉनिटरिंग सेल के रूप में जाना जाए, जो उस संस्था अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों में इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु सहयोग दें। मॉनिटरिंग सेल संस्थाध्यक्षों रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल से रैगिंग गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सकता है। वह जिलाधिकारी को अध्यक्षता में गठित/जनपद स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति के सम्पर्क में रहे।

ज मॉनिटरिंग सेल; संस्था द्वारा किए जा रहे रैगिंग विरोधी उपायों का भी मूल्यांकन करेगी। माता-पिता/अभिभावकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में दिए गए शपथ पत्र तथा रैगिंग के नियम तोड़ने पर दण्डित किए जाने हेतु उनकी सहमति की भी जांच करेगा। यह दोषियों को दण्डित किए जाने हेतु उसकी मुख्य भूमिका होगी। रैगिंग विरोधी उपायों के कार्यान्वयन में भी इसकी मुख्य भूमिका होगी।

6.4 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित उपाय भी करे, जिनका नाम हो—

क प्रत्येक छात्रावास अथवा स्थान जहाँ छात्र रहते हैं। संस्था के उस भाग में पूर्णकालिक वार्डन हों जिसकी नियुक्ति संस्था द्वारा अर्हता के नियमानुसार की जाय जो अनुशासन बनाये रखें तथा छात्रावास में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के साथ ही युवाओं से कक्षा के बाहर काउंसलिंग और सम्बंध बनाये रखे। वह छात्रावास में रहे या छात्रावास के अत्यन्त निकट रहे।

- ख वार्डन हर समय उपलब्ध हो। दूरभाष तथा संचार के अन्य साधनों से हर समय सम्पर्क किया जा सके। वार्डन को संस्था द्वारा मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाये जिसके नम्बर की जानकारी छात्रावास में रह रहे सभी छात्रों को हो।
- ग संस्था द्वारा वार्डन तथा रैगिंग रोकने से सम्बन्धित अन्य अधिकारियों के अधिकार बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। छात्रावास में नियुक्त सुरक्षाकर्मी सीधे वार्डनों के नियंत्रण में हों तथा वार्डन द्वारा उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाए।
- घ इन विनियमों के विनियम 6.1 उपखण्ड (ओ) के अनुसार प्रवेश के समय पेशेवर काउंसिलर रखे जायें जो नये और अन्य छात्र जो अपने आने वाले जीवन की तैयारी हेतु विशेष रूप छात्रावास में रहने से सम्बन्धित काउन्सिलिंग चाहते हो उनहें काउन्सिलिंग करें। ऐसे काउन्सिलिंग सत्रों से माता-पिता तथा शिक्षकों को भी जोड़ा जाये।
- ङ संस्था रैगिंग विरोधी उपायों का व्यापक काउन्सिलिंग सत्र, कार्यशाला, पेंटिंग द्वारा यह कार्य किया जा सकता है।
- च संस्था के संकाय सदस्य उसका शिक्षणेतर कर्मचारी, जो केवल प्रशासनिक पद तक सीमित नहीं है, सुरक्षा गार्डस तथा संस्था के अन्दर सेवा करनेवाले कर्मचारियों को रैगिंग तथा उसके दुष्परिणाम के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।
- छ संस्था/शिक्षण एवं शिक्षणेतर प्रत्येक कर्मचारी से संविदा पर रखे गए प्रत्येक श्रमिक से चाहे वे कैटीन के कर्मचारी हों अथवा सुरक्षा गार्ड हों या सफाई वाले कर्मचारी हों सबसे एक अनुबन्ध ले कि वे अपनी जानकारी में आनेवाले रैगिंग की घटना की जानकारी तुरन्त सक्षम अधिकारियों को देंगे।
- ज संस्था द्वारा सेवा कार्य की नियमावली में रैगिंग की सूचना देनेवाले कर्मचारियों को अनुशंसा पत्र देने का नियम बनाए तथा उसे उनके सेवा रिकॉर्ड में रखा जाए।

- झ संस्था द्वारा कैंटीन और मैस के कर्मचारियों, चाहे वे संस्था के कर्मचारी हों अथवा निजी सेवा देने वाले हो को निर्देशित किया जाए कि वे अपने क्षेत्र में कड़ी नजर रखें तथा रैगिंग की कोई भी घटना होने पर उसको जानकारी तुरन्त संस्थाध्यक्ष रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों अथवा वार्डन को दें।
- ञ शिक्षा की किसी भी स्तर की उपाधि देनेवाली संस्था यह देख ले कि उसके पाठ्यक्रम में रैगिंग विरोधी कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। मानव अधिकारों की रक्षा पर बल दिया जाए। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में रैगिंग की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला जाए। प्रत्येक शिक्षक काउन्सिलिंग के स्थिति से निबटने का ढंग आना चाहिए।
- ट प्रथम वर्ष नए विद्यार्थियों की ओर हर पन्द्रह दिन में गुमनाम बेतरतीब सर्वेक्षण कि जाएँ। यह देखने के लिए कि संस्था में रैगिंग नहीं हो रही है। सर्वेक्षण की रूपरेखा संस्था स्वयं निश्चित करे। संस्था द्वारा छात्र को दिए जानेवाले विश्वविद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में छात्र के सामान्य चरित्र और व्यवहार के अतिरिक्त यह भी दिया जाए कि क्या छात्र कभी रैगिंग सम्बन्धी अपराध में संलिप्त रहा है। क्या छात्र ने कोई हिंसक अथवा दूसरे को हानि पहुँचाने वाला अपराध किया है।
- ठ इन विनियमों विभिन्न अधिकारियों सदस्यों तथा समितियों के अधिकार बताए गए हैं। इसके साथ ही सभी वर्गों के अधिकारियों संकाय के सदस्यों तथा कर्मचारियों सहित चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी जो भी संस्था की सेवा कर रहा है उसका यह सामूहिक दायित्व होगा कि वह रैगिंग की घटनाओं को रोके।
- ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य संस्था का अध्यक्ष सत्र के प्रारम्भिक तीन महीने तक रैगिंग के आदेश के अनुपालन तथा रैगिंग विरोधी उपायों की जानकारी से सम्बन्धित इन विनियम के अधीन साप्ताहिक रिपोर्ट उस विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा जिसके द्वारा वह संस्था रिकॉग्नाइज की गई हैं। उसे दें।
- ढ प्रत्येक विश्वविद्यालय को कुलपति महोदय विश्वविद्यालय तथा रैगिंग की देखरेख करनेवाले सेल की रिपोर्ट प्रत्येक पन्द्रह दिन बाद राज्य स्तरीय देख रेख करने

वाले सेल को दें।

7 संस्थाध्यक्ष द्वारा की जानेवाली कार्रवाई—

- I. रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दें। रैगिंग के अंतर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं।
 - II. रैगिंग हेतु उकसाना
 - III. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र
 - IV. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना
 - V. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना
 - VI. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना
 - VII. शरीर को चोट पहुँचाना
 - VIII. गलत ढंग से रोकना
 - IX. आपराधिक बल प्रयोग
 - X. प्रहार करना, मौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध
 - XI. बलात् ग्रहण
 - XII. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना
 - XIII. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध
 - XIV. आपराधिक धमकी
 - XV. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना
 - XVI. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना
 - XVII. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना
 - XVIII. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध
- रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध यह भी उल्लेख किया जाता है।

संस्थाध्यक्ष रैगिंग की घटना की सूचना तुरन्त जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को दें।

यह भी उल्लेख किया जाता कि संस्था इन विनियम के खण्ड 9 के अधीन अपनी जाँच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कारवाई की प्रतीक्षा किए बिना प्रारम्भ कर दे और घटना के एक सप्ताह के भीतर औपचारिक कारवाई पूरी कर ली जाए।

8 आयोग और परिषद के कर्तव्य एवं दायित्व

- 8.1 आयोग रैगिंग से सम्बन्धित घटनाओं की शीघ्र सूचना हेतु निम्नलिखित कार्य करेगा—
- क आयोग धन निर्धारित करेगा तथा एक टॉल फ्री रैगिंग विरोधी सहायता लाइन बनाएगा जो 24 घंटे खुली रहेगी जिसका छात्र रैगिंग से सम्बन्धित घटनाओं के निवारण हेतु प्रयोग कर सकते हैं।
- ख रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन पर प्राप्त किया गया संदेश तुरन्त संस्थाध्यक्ष, छात्रावास के वार्डन सम्बद्ध विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी को प्रसारित किया जाएगा। सम्बद्ध जिले के अधिकारियों यदि आवश्यकता हुई तो जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी तथा वेबसाइट पर डाल दी जाएगी ताकि मीडिया तथा सामान्य जनता उसका विश्लेषण करे।
- ग संस्थाध्यक्ष को एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई इन विनियम के उपखण्ड (बी) के अनुसार करनी होगी।
- घ छात्र अथवा किसी भी व्यक्ति को रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन पर संदेश देने हेतु संस्था मोबाइल और फोन के बे-रोक-टोक प्रयोग की छात्रावास तथा परिसर, कक्षाएँ, संगोष्ठी कक्ष पुस्तकालय आदि के अतिरिक्त सभी स्थानों पर प्रयोग की अनुमति के अतिरिक्त सभी स्थानों पर प्रयोग की अनुमति देगा।
- ड रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों, संस्थाध्यक्षों संकाय के सदस्यों, रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों तथा रैगिंग विरोधी दल, जिले के अधिकारियों, हॉस्टल के वार्डनों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों, फोन नम्बर

तथा पते छात्रों को उपलब्ध कराए जाएँ ताकि आकस्मिकी में वे उनका प्रयोग कर सकें।

च. आयोग छात्रों तथा उसके माता-पिता/अभिभावक द्वारा दिए गए शपथ पत्रों के आधार पर आंकड़ा रखेगा। यह आंकड़ा रैगिंग की शिकायतों तथा उस पर की गई कार्रवाई के रिकार्ड के रूप में कार्य करेगा।

छ. आयोग इस आंकड़े को केन्द्र सरकार द्वारा नामित एवं गैर सरकारी संघटन को उपलब्ध कराएगा। इससे आम जनता में विश्वास बढ़ेगा इन विनियम के अनुपालन न करने की सूचना भी आयोग केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत समितियों को उपलब्ध कराएगा।

8.2 आयोग नियम के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाएगा—

क. आयोग संस्था हेतु यह आवश्यक करेगा कि वह अपनी विवरणिका में केन्द्र सरकार के निर्देश अथवा राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति के रैगिंग निषेध सम्बन्धी निर्देश और उसके परिणाम समाहित करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो यह माना जाएगा कि वे शिक्षा का स्तर गिर रहे हैं। तथा इसके लिए उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

ख. आयोग यह प्रमाणित करेगा कि इन विनियमों के अनुसार छात्रों तथा उनके माता-पिता/अभिभावक से शपथ पत्र संस्था द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।

ग. आयोग द्वारा संस्था को दी जा रही किसी प्रकार की विशेष अथवा सामान्य किसी प्रकार की आर्थिक सहायता अथवा अनुदान के युटिलाइजेशन प्रमाण पत्र में एक शर्त यह लगाई जाएगी कि संस्था द्वारा रैगिंग निषेध सम्बन्धी विनियम एवं उपायों का अनुपालन किया जा रहा है।

घ. रैगिंग की किसी भी घटना का संस्था के रैंक अथवा एन.ए.ए.सी. अथवा किसी अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा दी जानेवाले रैंकिंग और ग्रेडिंग पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है।

ङ. आयोग उन संस्थाओं को अतिरिक्त अनुदान दे सकता है अथवा अधिनियम खण्ड 12 बी के लिए अर्ह मान सकता है। जहाँ रैगिंग की घटनाएँ नहीं होंगी।

च. जहाँ रैगिंग की घटनाएँ नहीं होंगी। आयोग रैगिंग रोकने के लिए एक इंटर

कौंसिल कमेटी बनाएगा जिसमें की भिन्न परिषदों के प्रतिनिधि होंगे। गैर सरकारी एजेंसी आयोग द्वारा रखे जा रहे आंकड़े को देखने के लिए उपखंड (जी) अधिनियम 8.1 के और इस प्रकार के निकाय उच्चतर शिक्षा में रैगिंग विरोधी उपार्यों को देखने तथा सहयोग देने हेतु तथा समय-समय पर संस्तुतियाँ देने हेतु और प्रत्येक वर्ष के छः महीने में इसकी कम से कम एक बैठक होगी। आयोग एक रैगिंग विरोधी सेल आयोग में बनाएगा। जो रैगिंग से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र करने तथा उसपर दृष्टि रखने में सचिव की सहायता करेगा। राज्य स्तरीय दृष्टि रखने वाले सेल को ताकि रैगिंग को रोकने के उपायों पर सुचारु रूप से कार्य हो सके। यह सेल गैर सरकारी संघटन जो रैगिंग रोकने से सम्बन्धित होंगे, को आंकड़े देख रेख में सहायता देगा। इसकी संरचना अधिनियम 8.1 के खण्ड (जी) के अधीन की जाएगी।

9 रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई—

- 9.1 किसी छात्र को रैगिंग का शोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा।
- क रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।
- ख रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में को कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।
- I. कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन
 - II छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना
 - III किसी टैस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना
 - IV परीक्षाफल रोकना
 - V किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
 - VI छात्रावास से निष्कासित करना

- VII. प्रवेश रद्द करना
- VIII. संस्था से 04 सत्रों तक के लिए लिए निष्कासन करना।
- IX. संस्था से निष्कासित और परिणाम स्वरूप किसी भी संस्था में निश्चित अवधि तक निष्कासन करना। जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।
- ग रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जाएगी।
- I. किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्था होने पर कुलपति से।
 - II. विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलाधिपति से
 - III. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने पर उसके चेयनमेन अथवा चांसलर अथवा स्थिति के अनुसार
- 9.2 यदि किसी विश्वविद्यालय के अधीन/सम्बद्ध कोई संस्था (जो उसके विधान में, सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो) इनमें से किसी नियम विनियम के अनुपालन में असफल रहती है तथा रैगिंग को प्रभावशाली ढंग से रोकने में असफल रहता है तथा विश्वविद्यालय उस पर निम्नलिखित में से कोई एक अथवा किसी समूहकार दण्ड लगा सकता है—
- I. सम्बद्धता/रेकगजिशन या उसे दिए गए अन्य विशेष अधिकार वापस लेना
 - II. इस प्रकार की संस्था को चल रहे किसी शैक्षिक प्रोग्राम में डिग्री अथवा डिप्लोमा में भाग लेने से रोकना।
 - III. विश्वविद्यालय द्वारा उसे दिए जा रहे अनुदान को वापस लेना, यदि कोई हो।
 - IV. विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के माध्यम से दिए जा रहे किसी अनुदान को रोकना
 - V. विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आनेवाला कोई अन्य दण्ड
- 9.3 जहाँ नियुक्ति देने वाले अधिकारी का विचार है कि संस्था को किसी कर्मचारी द्वारा रैगिंग की सूचना देने में ढील बरती गई है। रैगिंग की सूचना देने में त्वरित कार्रवाई नहीं की है। रैगिंग की घटना अथवा घटनाएँ रोकने के लिए नहीं की हैं। इन विनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई नहीं की है। रैगिंग की उस अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

यदि इस प्रकार की ढील संस्थाध्यक्ष के स्तर पर हुई है तो संस्थाध्यक्ष की नियुक्ति करनेवाले अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

9.4 कोई भी संस्था जो रैंगिंग रोकने इन विनियम के अनुसार कार्रवाई नहीं करेगा अथवा दोषियों को दण्डित नहीं करता तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक कार्रवाई करेगा।

- I. अधिनियम के खण्ड 12 बी के अन्तर्गत दिए जानेवाले अनुदान को रोकना।
- II. दिया जा रहा कोई अनुदान वापस लेना।
- III. आयोग द्वारा दी जानेवाली सामान्य अथवा किसी विशेष आसिस्टेंस प्रोग्राम हेतु संस्था को अयोग घोषित करना।
- IV. सामान्य जनता अभ्यर्थियों को समाचार पत्र, मीडिया, आयोग की बैबसाइट आदि द्वारा यह बताना कि संस्था में लघुतम शैक्षिक स्तर उपलब्ध नहीं है।
- V. इसी प्रकार की अन्य कार्रवाई करना तथा इसी प्रकार से संस्था को तब तक दंडित करना जब तक कि वह रैंगिंग रोकने के लक्ष्य को प्राप्त न कर ले

अयोग द्वारा किसी संस्थान के विरुद्ध इस अधिनियम के अनुसार की गई कार्रवाई में सभी समितियाँ सहयोग देंगी।


(डॉ. आर. के. चौहान) 2009
सचिव 6
17

संलग्नक 1

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाणपत्र

1. अभ्यर्थी/छात्र का घोषणा पत्र मैं पुत्र/पुत्री.....ने श्री/श्रीमती/सुश्री.....ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केंद्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
2. मैंने मुख्यरूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझा लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयत पूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि
 - क) मैं किसी की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूँगा/लूँगी
 - ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
4. मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करूँगा/करूँगी
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाया गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर.....दिनमहीना.....वर्ष.....

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

शपथ प्रमाणपत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई न कोई तथ्य गलत है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।

सत्यापित.....स्थान.....दिनमहीना.....वर्ष.....

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

संलग्नक -II**माता-पिता/अभिभावक का शपथ प्रमाण-पत्र**

1. मैं पिता/माता/अभिभावक
.....ने रैगिंग निषेध के विधि तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देश को केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम-2009 को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने खासतौर से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझा लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयत पूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि
क) मैं किसी तरह के रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूँगा/लूँगी
ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाया गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर दिन महीना वर्ष

हस्ताक्षर
नाम, पता, दूरभाष नं.**शपथ प्रमाण-पत्र**

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई न कोई तथ्य गलत है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।।
सत्यापित.....स्थान..... दिनमहीना.....वर्ष.....

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त